

TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT)
5, SHAM NATH MARG, DELHI

F No. 7(13)/REV./GA/Rev. P./ Teh./2012/P.F.-II/ 2109


Dated: 28/09/2012

NOTIFICATION

In pursuance of Services Department's order No. 148 dated 02.04.2012, Sh. Rajeev Kumar, Grade-I (DASS) has joined as Tehsildar (Pahar Ganj), Distt. Central on 18.05.2012 (F/N). Now, therefore,

1. In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon Sh. Rajeev Kumar, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. his date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
2. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Rajeev Kumar, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. his date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
3. In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Rajeev Kumar, Grade-I (DASS) as Consolidation Officers in the said Territory for the purpose of the aforesaid Act, w.e.f. his date of assumption of charge and till such time as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
4. In exercise of powers conferred by Section 77 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954). the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon Sh. Rajeev Kumar, Grade-I (DASS) the powers of Assistant Collector, Grade-II under the said Act in the said territory, w.e.f. his date of assumption of charge and so long as he holds the post of Tehsildar in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE Lt. GOVERNOR
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI



(Kuldeep Singh Gangar)
Spl. Secretary (Revenue)

Dated: 28/09/2012

F No. 7(13)/REV./GA/Rev. P./ Teh./2012/P.F.-II/ 2109

Copy forwarded for information and necessary action to:-

- 1 Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Gazette (Extra Ordinary).
- 2 The Deputy Commissioner, District Central.
- 3 Officers concerned through Deputy Commissioner, Distt. Central.
- 4 The System Analyst, Revenue Department to upload the notifications on departmental website .
- 5 P.S. to Pr. Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
- 6 Guard file.

Roansaj

(D. K. SAINI)

Sub Divisional Magistrate-III (HQ)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार
(राजस्व विभाग),
5 शाम नाथ मार्ग , दिल्ली

सं०. एफ. 7/(13)/राजस्व/जी0ए0/राज. श./तहसी./2012/पी. एफ.- II/ 2159


दिनांक : 28/09/2012

अधिसूचना

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं० 148 दिनांक 02.04.2012 के सदर्थ में श्री राजीव कुमार, ग्रेड-1 (दास) ने दिनांक 18.05.2012 (पूर्वाहन) को तहसीलदार (पहाड गंज), जिला- मध्य, का कार्यभार संभाल लिया है। अतः-

1. सं०.7/(13)/रा. स्थ./स.र./97/-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की उप-धारा 27/1/बी (1887 अधिनियम सं० 17), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री राजीव कुमार, ग्रेड-1 (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।
2. सं०.7/(13)/रा. स्थ./स.र./97/(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तर-प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 15 की उप धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री राजीव कुमार, ग्रेड-1 (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।
3. सं०. 7/(13)/रा. स्थ./ .र./97/(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी एवं विखण्डन रोकथाम) अधिनियम 1948 (1948 की अधिनियम सं० 50) की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री राजीव कुमार, ग्रेड-1 (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में उक्त शक्तियां व अधिनियम के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।
4. सं०. 7/(13)/रा. स्थ./स.र./97/ (iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 की अधिनियम सं० 12) की धारा 77 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री राजीव कुमार, ग्रेड-1 (दास) को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, कथित क्षेत्र में सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर




(कुलदीप सिंह गंगर)
विशेष सचिव (राजस्व)

सं०. एफ. 7/(13)/राजस्व/जी0ए0/राज. श./तहसी./2012/पी. एफ.- II/ 2159

दिनांक : 28/09/2012

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उपसचिव (सा. प्रा.) रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।
2. उपायुक्त राजस्व , जिला - मध्य ।
3. संबंधित अधिकारी को उपायुक्त जिला - मध्य के माध्यम से ।
4. प्रणाली विश्लेषक (System Analyst) राजस्व विभाग को यह अधिसूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. पी. एस., प्रधान सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, ।
6. गार्ड फाईल ।



(डी. के. सेनी)
उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (मु०-III)